FTS:-46773

ग्रेटर नौएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं0 01, सेक्टर नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो/बिल्डर्स/का0आ0/2019/792
दिनांक : 01 जुलाई 2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.12.2018 के मद संख्या 113/4 में अनुमोदित संशोधित रि–शिडयूलमेंट नीति के उपरान्त जारी कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो/बिल्डर्स/का0आ0/2018/1377 दिनांक 14.12.2018 के प्रस्तर संख्या 02 में वर्णित प्राविधानों के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित प्राविधानों के साथ रि–शिडयूलमेंट नीति के अंतर्गत आवेदन करने की तिथि प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 के मद संख्या 114/6 में अनुमोदन के कम में दिनांक 31.08.2019 तक बढ़ाई जाती है:–

i) यह रि–शिडयूलमेंट की सुविधा केवल उन्ही डिफॉल्टर बिल्डर को अनुमन्य होगी, जो मौके पर कुछ निर्माण कार्य कर रहे हों या कार्य करने का शपथ पत्र देते हैं ।

ii) जो आवंटी दिनांक 30.06.2019 तक आवेदन करते हैं, उन्हें अनुमानित अतिदेय राशि की 10 प्रतिशत राशि आवेदन पत्र के साथ तथा 12 प्रतिशत राशि (10 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगी ।

iii) जो आवंटी दिनांक 31.07.2019 तक आवेदन करते हैं, उन्हें अनुमानित अतिदेय राशि की 12 प्रतिशत राशि आवेदन पत्र के साथ तथा 13 प्रतिशत राशि (12 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगी ।

iv) जो आवंटी दिनांक 31.08.2019 तक आवेदन करते हैं, उन्हें अनुमानित अतिदेय राशि की 15 प्रतिशत राशि आवेदन पत्र के साथ तथा 15 प्रतिशत राशि (15 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगी ।

v) यदि किसी प्रकरण में आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने में एक वर्ष या उससे कम समय बाकी हो, के उपरान्त आवंटी द्वारा रि–शिडयूलमेंट के लिये आवेदन किया जाता है तो उन प्रकरणों में उक्त बिन्दु संख्या i, ii, iii & iv में वर्णित आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाली धनराशि में अतिरिक्त 5 प्रतिशत राशि और जमा कराकर आवेदन करना होगा । शेष व्यवस्था यथावत रहेगी ।

vi) कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो/बिल्डर्स/का0आ0/2018/1384 दिनांक 17.07.2018 के प्रस्तर "घ" में आंशिक संशोधन करते हुऐ व्यवस्था की जाती है कि जिन प्रकरणों में आवंटन को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन प्रकरणों में उक्त बिन्दु संख्या i, ii, iii & iv में वर्णित आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाली धनराशि में अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि और जमा कराकर आवेदन करना होगा, परन्तु रि–शिडयूलमेंट की किश्तें किसी भी दशा में 12 वर्ष की समय अवधि से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसे प्रकरणों में आवंटी की देयता की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुऐ केस–टू–केस बेसिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त रि–शिडयूलमेंट किया जायेगा । शेष व्यवस्था प्रस्तर "घ" के अनुसार ही रहेगी ।

vii) शेष नियम व शर्तें प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.12.2018 के मद संख्या 113/4 में अनुमोदित संशोधित रि–शिडयूलमेंट नीति तथा उसके उपरान्त जारी कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो/बिल्डर्स/का0आ0/2018/1377 दिनांक 14.12.2018 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप ही रहेंगी ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी), ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यालय आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।

01/7/19

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी